राजस्थान सरकार
आयोजना विभाग, जयपुर

क्रमांकः एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2015/ दिनांकः 28.04.2015

परिपत्र –12

भामाशाह योजनान्तर्गत लाभान्वितों को नकद लाभ उनके निवास के निकटस्थ उपलब्ध करवाने के लिए निम्न कार्यवाही अपेक्षित हैः–

1. प्रत्येक ग्राम पंचायत पर नियुक्त बैंकों के बैंकिंग संवादकर्ता (Banking Correspondent) का भौतिक सत्यापन कर, उसके द्वारा बैंकिंग सेवाएं प्रदान किया जाना सुनिश्चित करें। यदि किसी स्थान पर नियुक्त बैंकिंग संवादकर्ता क्रियाशील न पाया जाए, तो उसकी सूचना राज्य स्तर पर देते हुए मुख्यालय स्थित ई–मित्र को बैंकिंग संवादकर्ता (Banking Correspondent) नियुक्त करवाया जाए।
2. प्रत्येक लाभार्थी विशेषकर परिवार की महिला मुखिया के बैंक खाते में आधार सीडिंग (e-KYC) संबंधित बैंक द्वारा सुनिश्चित करायें, जिससे बायोमैट्रिक सत्यापन (Biometric Verification) के आधार पर भामाशाह कार्ड का उपयोग करते हुए, लाभान्वित द्वारा बैंक के बैंकिंग संवादकर्ता (Banking Correspondent) से नकद लाभ प्राप्त किया जा सके।
3. प्रत्येक लाभार्थी को संबंधित बैंक द्वारा Rupay Card प्राप्त करवाना सुनिश्चित करवाएं। साथ ही ATM पर लेन–देन (test transaction) करवा कर यह सुनिश्चित कर लें कि Rupay Card सक्रिय (active) है।
4. जिन ई–मित्र को अटल सेवा केन्द्र में स्थापित किया गया है, वह आवश्यक रूप से बैंक के बैंकिंग संवादकर्ता (Banking Correspondent) के रूप में कार्य करें, इस हेतु संबंधित बैंक से आवश्यक कार्यवाही करायें।
5. जिस–जिस ई–मित्र को Micro ATM उपलब्ध कराये गये हैं, उनके यहां Rupay Card से नकद लाभ उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित कराएं।

भामाशाह योजना के अन्तर्गत परिपत्र क्रमांक 11 दिनांक 11.02.2015 की अनुपालना में प्रति माह जारी होने तथा विभिन्न विभागों से सीड होने वाले परिवारों/लाभान्वितों के क्रम में उपरोक्तनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

(सी. एस. राजन)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ

1. सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान सरकार।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।

(अखिल अरोरा)
शासन सचिव, आयोजना

प्रतिलिपिः–निम्न को पालनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
2. निदेशक, आर्थिकी एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर, राजस्थान।
3. निदेशक (तकनीकी), राजकॉम्प इन्फो सर्विसेस लि., जयपुर, राजस्थान।
4. उप/सहायक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जिला....................
5. ए.सी.पी.(उपनिदेशक), सूचना प्रौ. एवं संचार विभाग, जिला....................
6. समस्त उपखण्ड अधिकारी.................................
7. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति....................
8. गार्ड पत्रावली।

शासन सचिव, आयोजना